Forest areas for production of crops

1891. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to release forest areas for production of cash crops to the private individuals; if so, the details thereof;

(b) whether Government also propose to handover the job of afforestation to the private people on commercial lines; and

(c) the manner in which Government propose to execute the proposal?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) No specific proposal for diversion of forest land for production of cash crops by private individuals is under consideration of the Central Government.

(b) There is no specific proposal.

(c) Does not arise.

मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजनायें

1892. **श्री राघव जी** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि'

(क) मध्य प्रदेश के विदिशा तथा रायसेन जिलों की उन सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो 15 नवम्बर, 1991 को सरकार के पास लंबित थीं ;

(ख) प्रत्येक परियोजना किस-किस तारीख से लंबित है तथा प्रत्येक परियोजना को कब तक मंजूरी प्रदान कर दिया जाने की संभावना है ; और

(ग) क्या सरकार उस क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं की कमी को देखते हुये इन्हें शीघ्र मंजूरी प्रदान करने पर विचार कर रही है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश के विदिशा और रायसेन जिलों में कोई भी सिंचाई परियोजना पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लंबित नहीं है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत केन्द्रीय सरकार के पास लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा इस प्रकार है'

क्रम सं०	प्रस्ताव का नाम	जिला	कबसे लंबित है
1.	नगरी टैंक परियोजना . . .	रायसेन	सितम्बर, 1991
2.	रामपुरा टैंक परियोजना . . .	रायसेन	सितम्बर, 1991
3.	पिपोली टैंक परियोजना . . .	रायसेन	सितम्बर, 1991
4.	जोधपुर टैंक परियोजना . . .	रायसेन	जुलाई, 1991

राज्य सरकार से सारी सूचना प्राप्त हो जाने के पश्चात् वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि को उपयोग में लाने के संबंध में अंतिम निर्णय शीघ्र लिया जाता है।